संख्या:01/2021/2018/46-1-20-1000(11)/2020

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड, बुलन्दशहर, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, रामपुर, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, अम्बेड़कर नगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती तथा कुशीनगर।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक 09 जनवरी, 2021

विषयः- चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-23 (सामान्य) के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ.प्र. के पत्र संख्या: 1029/सी/12-निर्माण:अ.ग्रा., दिनांक 18-12-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु निर्धारित फंडिगं पैर्टन 80:20 के अनुसार 80 प्रतिशत राज्यांश के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत प्राविधानित की धनराशि रू.1125.00 लाख के सापेक्ष जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड, बुलन्दशहर, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, रामपुर, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, अम्बेड़कर नगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती तथा कुशीनगर के कुल 41 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराने हेतु संलग्नक में उनके सम्मुख कालम-6 में अंकित कुल लागत रू.1408.337 लाख (रूपये चौदह करोड़ आठ लाख तैतीस हजार सात सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं तालिका के कालम-8 के अनुसार राज्यांश की प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में **रू.562.497 लाख (रूपये पांच करोड़ बासठ लाख उनचास हजार सात सौ मात्र)** अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) परिषद अंश की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में धनराशि का प्राविधान/आवंटन किया जा रहा है।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत संलग्नक में क्रमांक-15 पर जिला पीलीभीत के क्रम संख्या-1 पर अंकित मार्ग, क्रमांक-16 पर अंकित मार्ग, क्रमांक-21 पर जिला अम्बेड़कर नगर का मार्ग एवं क्रमांक-25 पर अंकित मार्ग के लिए स्वीकृत धनराशि गन्ना एवं चीनी आयुक्त की पूर्वानुमति प्राप्त कर व्यय की जायेगी।

(3) जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा राज्यांश का भुगतान तभी किया जायेगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

(4) कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष जिला अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(5) समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियंत्रण शाखा कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिटियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार विचलन जिला गन्ना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तथा 5 प्रतिशत से अधिक के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति पर मुख्य अभियन्ता के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित कार्योंके विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु बजटीय प्राविधान संबंधित जनपद के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(6) सेंटेज चार्जेज की धनराशि शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 तथा शासनदेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। शासनादेश के संलग्नक के कालम-10 में अंकित सेटेंज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. को दी जायेगी।

(7) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2021) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24-03-2020 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से एप्रेजल (Appraisal) एवं तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(11) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(12) कार्य की विशिष्टयॉ मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

(14) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर धनराशि का आहरण निर्माण कार्य हेतु तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(15) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सडक निर्माण कार्य-04-चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-28/दस-2021, दिनांक 08 जनवरी, 2021 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।)

भवदीय,

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या:01/2021/2018(1)/46-1-2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
8. संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
9. संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
10. नियोजन अनुभाग-4/ राज्य योजना आयोग-1/2,
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
12. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या:01/2021/2018/46-1-2020, दिनांक 09 जनवरी, 2021 का संलग्नक

क्रं. सं.	जनपद	सं.	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (लाख रू.)	राज्यांश की धनराशि (लाख रू.)	राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की धनराशि (लाख रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित धनराशि (लाख रू)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	निर्माण/ पुनर्निर्माण का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहारनपुर	1	रायचन्दा हुसैनपुर मार्ग	0.850	27.161	21.696	10.848	2.393	1.196	19.303	9.652	2001-02
	सहारनपुर	2	भायला खुर्द से राजवाहे की ओर	0.490	17.589	14.050	7.025	1.549	0.774	12.501	6.251	2001-02
	सहारनपुर	3	नल्हेडा रणदेवा मार्ग	0.600	19.610	15.665	7.832	1.727	0.864	13.938	6.968	2006-07
		3	**योग जनपद**	**1.940**	**64.360**	**51.411**	**25.705**	**5.669**	**2.834**	**45.742**	**22.871**	
2	मु. नगर	1	जौली रोड से टन्हेड़ा ग्राम की ओर	0.315	9.780	7.812	3.906	0.863	0.432	6.949	3.474	2002-03
	मु. नगर	2	सिसौना से नयागांव (एन.एच.-58 से बल्लूमाजरा)	1.150	33.160	26.489	13.244	2.921	1.460	23.568	11.784	2006-07
	मु. नगर	3	सफीपुर भैसाना मार्ग	0.860	28.666	22.899	11.449	2.525	1.263	20.374	10.186	2005-06
	मु. नगर	4	भौराकलां से खेडीपटटी मार्ग	1.500	49.127	39.243	19.622	4.327	2.163	34.916	17.459	2008-09
		4	**योग जनपद**	**3.825**	**120.733**	**96.443**	**48.221**	**10.636**	**5.318**	**85.807**	**42.903**	
3	शामली	1	मुल्लापुर से जमालपुर	0.835	31.181	24.908	12.454	2.747	1.374	22.161	11.080	2009-10
		1	**योग जनपद**	**0.835**	**31.181**	**24.908**	**12.454**	**2.747**	**1.374**	**22.161**	**11.080**	
4	मेरठ	1	करनावल से नारंगपुर मार्ग	1.700	58.253	46.533	23.266	5.131	2.565	41.402	20.701	2010-11
	मेरठ	2	ग्राम मोछरा से अमरपुर सम्पर्क मार्ग	1.000	36.130	28.861	14.431	3.183	1.592	25.678	12.839	2004-05
		2	**योग जनपद**	**2.700**	**94.383**	**75.394**	**37.697**	**8.314**	**4.157**	**67.080**	**33.540**	
5	बागपत	1	ग्राम फतेहपुर माजरा-अमीनगर सराय रोड़ से फतेहपुर माजरा होते हुए बिलोचपुरा मार्ग प्रथम भाग	0.830	31.123	24.861	12.430	2.742	1.371	22.119	11.059	2010-11
		1	**योग जनपद**	**0.830**	**31.123**	**24.861**	**12.430**	**2.742**	**1.371**	**22.119**	**11.059**	
6	गाजियाबाद	1	सुराना बागपत पी.डब्ल्यू.डी. रोड के 11वें कि.मी. से खिन्दौडा मार्ग	0.410	15.038	12.013	6.007	1.325	0.663	10.688	5.344	2011-12
		1	**योग जनपद**	**0.410**	**15.038**	**12.013**	**6.007**	**1.325**	**0.663**	**10.688**	**5.344**	
7	हापुड़	1	ढाना बक्सर मार्ग से ग्राम फुलढेहरा मार्ग का शेष भाग	0.600	22.653	18.095	9.047	1.995	0.998	16.100	8.049	2007-08
		1	**योग जनपद**	**0.600**	**22.653**	**18.095**	**9.047**	**1.995**	**0.9980**	**16.100**	**8.049**	

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

8	बुलन्दशहर	1	स्याना सैदपुर मार्ग से महाव प्रथम भाग।	0.750	28.342	22.640	11.320	2.497	1.248	20.143	10.072	2002-03
		1	**योग जनपद**	**0.750**	**28.342**	**22.640**	**11.320**	**2.497**	**1.248**	**20.143**	**10.072**	
9	बिजनौर	1	कुरी से खाईखेड़ा मार्ग	0.695	33.519	26.775	13.388	2.953	1.477	23.822	11.911	1998-99
	बिजनौर	2	भज्जावाला मार्ग अवशेष भाग	1.600	51.781	41.363	20.681	4.561	2.280	36.802	18.401	1996-97
	बिजनौर	3	बिजनौर-हल्दौर रोड से त्रिलोकपुर	1.000	32.060	25.610	12.805	2.824	1.412	22.786	11.393	2011-12
		3	**योग जनपद**	**3.295**	**117.360**	**93.748**	**46.874**	**10.338**	**5.169**	**83.410**	**41.705**	
10	अमरोहा	1	ग्राम दुर्गपुर से धनसूरपुर मार्ग	0.950	47.861	38.232	19.116	4.216	2.108	34.016	17.008	1987-88
		1	**योग जनपद**	**0.950**	**47.861**	**38.232**	**19.116**	**4.216**	**2.108**	**34.016**	**17.008**	
11	सम्भल	1	रामनगर से सफातनगर	1.500	54.438	43.486	21.743	4.795	2.397	38.691	19.346	2011-12
		1	**योग जनपद**	**1.500**	**54.438**	**43.486**	**21.743**	**4.795**	**2.397**	**38.691**	**19.346**	
12	रामपुर	1	ग्राम शिकारपुर मार्ग	0.900	33.320	26.616	13.308	2.935	1.467	23.681	11.841	1983-84
		1	**योग जनपद**	**0.900**	**33.320**	**26.616**	**13.308**	**2.935**	**1.467**	**23.681**	**11.841**	
13	बरेली	1	कुण्डरा कोठी से इनायतपुर मार्ग (प्रथम भाग)	0.500	18.737	14.967	7.484	1.651	0.826	13.316	6.658	2008-09
	बरेली	2	ठिरिया बन्नौ जान से बड़ा गांव (प्रथम भाग)	1.000	41.449	33.110	16.555	3.651	1.825	29.459	14.730	1994-95
		2	**योग जनपद**	**1.500**	**60.186**	**48.077**	**24.039**	**5.302**	**2.651**	**42.775**	**21.388**	
14	बदायूँ	1	डहरपुर से कुन्डरा वीरमपुर (प्रथम भाग)	0.500	21.539	17.206	8.603	1.897	0.948	15.309	7.655	1994-95
		1	**योग जनपद**	**0.500**	**21.539**	**17.206**	**8.603**	**1.897**	**0.948**	**15.309**	**7.655**	
15	पीलीभीत	1	बरखेडा गजरौला रोड से आमडार मधुपुरी मार्ग प्रथम भाग	0.850	32.040	25.594	12.797	2.822	1.411	22.772	11.386	2012-13
	पीलीभीत	2	सुहास बरखेडा रोड से वाहनपुर मार्ग प्रथम भाग	0.400	17.170	13.716	6.858	1.512	0.756	12.204	6.102	2011-12
		2	**योग जनपद**	**1.250**	**49.210**	**39.310**	**19.655**	**4.334**	**2.167**	**34.976**	**17.488**	
16	शाहजहांपुर	1	मजरा रौसरकोठी लाल बाग से रौसर कोठी ग्राम चैराहा	0.650	82.777	66.123	33.062	7.292	3.646	58.831	29.416	2014-15
		1	**योग जनपद**	**0.650**	**82.777**	**66.123**	**33.062**	**7.292**	**3.646**	**58.831**	**29.416**	
17	लखीमपुर खीरी	1	मिरजापुरी मार्ग से प्रसादपुरवा ग्राम तक	0.350	22.250	17.774	8.887	1.960	0.980	15.814	7.907	2009-10
	लखीमपुर खीरी	2	आसाम रोड से गुरगुट्टा सम्पर्क मार्ग प्रथम भाग	0.700	33.701	26.921	13.460	2.969	1.485	23.952	11.975	2008-09
	लखीमपुर खीरी	3	फरधान बाजार से नरदवल ग्राम तक	0.650	28.931	23.110	11.555	2.548	1.274	20.562	10.281	1998-99
	लखीमपुर खीरी	4	गन्ना क्रयकेन्द्र परसेहरा से परसेहरा ग्राम तक	0.600	27.024	21.587	10.794	2.380	1.190	19.207	9.604	2010-11
	लखीमपुर खीरी	5	चैखडिया से गोधिया सम्पर्क मार्ग	1.200	53.093	42.411	21.205	4.677	2.338	37.734	18.867	2011-12
		5	**योग जनपद**	**3.500**	**164.999**	**131.803**	**65.901**	**14.534**	**7.267**	**117.269**	**58.634**	
18	सीतापुर	1	सिहपुर से देवीपुर मार्ग	1.140	50.430	40.284	20.142	4.442	2.221	35.842	17.921	1999-2000
	सीतापुर	2	हरगांव लहरपुर रोड से बरियाडीह मार्ग प्रथम	0.750	35.350	28.238	14.119	3.114	1.557	25.124	12.562	1997-98

http://shasanadesh.up.gov.in

			भाग									
		2	**योग जनपद**	**1.890**	**85.780**	**68.522**	**34.261**	**7.556**	**3.778**	**60.966**	**30.483**	
19	हरदोई	1	तिमिरपुर से भज्जापुरवा मार्ग भाग-1	1.100	49.685	39.689	19.845	4.377	2.189	35.312	17.656	2006-07
		1	**योग जनपद**	**1.100**	**49.685**	**39.689**	**19.845**	**4.377**	**2.189**	**35.312**	**17.656**	
20	अयोध्या	1	बिल्वहरघाट से जमूरतगंज सम्पर्क मार्ग से पुरखेपुर में सियाराम वर्मा के घर तक	0.530	23.527	18.794	9.397	2.072	1.036	16.722	8.361	2002-03
		1	**योग जनपद**	**0.530**	**23.527**	**18.794**	**9.397**	**2.072**	**1.036**	**16.722**	**8.361**	
21	अम्बेडकर नगर	1	सुलतानपुर से तुलसीपुर सम्पर्क मार्ग	0.400	17.687	14.129	7.065	1.558	0.779	12.571	6.286	2013-14
		1	**योग जनपद**	**0.400**	**17.687**	**14.129**	**7.065**	**1.558**	**0.779**	**12.571**	**6.286**	
22	गोण्डा	1	सांगीपुर मंगरावा तिनौना पेन्टेड रोड से पी.डबलू.डी. रोड तक का अवशेष भाग	0.500	26.034	20.796	10.398	2.293	1.147	18.503	9.251	2008-09
		1	**योग जनपद**	**0.500**	**26.034**	**20.796**	**10.398**	**2.293**	**1.147**	**18.503**	**9.251**	
23	बलरामपुर	1	चमरबोझिया मार्ग से नचैरी घंघरा मार्ग का प्रथम भाग	0.745	39.802	31.794	15.897	3.506	1.753	28.288	14.144	2008-09
		1	**योग जनपद**	**0.745**	**39.802**	**31.794**	**15.897**	**3.506**	**1.753**	**28.288**	**14.144**	
24	बहराइच	1	ताकियामउ से रामपुर गोडवा सम्पर्क मार्ग अवशेष भाग	0.760	38.419	30.689	15.344	3.384	1.692	27.305	13.652	2009-10
		1	**योग जनपद**	**0.760**	**38.419**	**30.689**	**15.344**	**3.384**	**1.692**	**27.305**	**13.652**	
25	बस्ती	1	अहरा चोलखरी मार्ग से असियापार डिवहरी मार्ग का मरम्मत कार्य	0.800	36.450	29.117	14.558	3.211	1.605	25.906	12.953	2012-13
		1	**योग:-**	**0.800**	**36.450**	**29.117**	**14.558**	**3.211**	**1.605**	**25.906**	**12.953**	
26	कुशीनगर	1	लोक निर्माण विभाग रोड से धर्मपुर खजुरिया तक द्वितीय भाग	0.800	51.450	41.099	20.550	4.532	2.266	36.567	18.284	1989-90
		1	**योग:-**	**0.800**	**51.450**	**41.099**	**20.550**	**4.532**	**2.266**	**36.567**	**18.284**	
		41	**महायोग-**	**33.460**	**1408.337**	**1124.995**	**562.497**	**124.057**	**62.028**	**1000.938**	**500.469**	

(रूपये पॉच करोड़ बासठ लाख उनचास हजार सात सौ मात्र)

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है